पत्रांक : /आयु0क0उत्तरा0/वाणि0कर/विधि अनु0/पत्रा0सं0–07(14–15)/2015–16/देहरादून।

कार्यालयः–आयुक्त कर उत्तराखण्ड

(विधि–अनुभाग)

देहरादूनः दिनांकः 21 दिसम्बर, 2015

1125
24/12/15

समस्त असिस्टेण्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर,
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी।

//निर्देश//

शासन की अधिसूचना संख्या 103 दिनांक 04.03.2014 द्वारा धारा 25क अन्तःस्थापित करते हुए वर्ष 2011–12 व वर्ष 2012–13 के लिये निर्दिष्ट शर्तों के अधीन कतिपय वादों में स्वतः कर निर्धारण सम्बन्धी प्राविधान लागू किया गया है। इस सम्बन्ध में मुख्यालय को परिवाद पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2011–12 व वर्ष 2012–13 से सम्बन्धित ऐसे वाद, जो धारा 25क के अन्तर्गत दी गयी समस्त शर्तों को पूर्ण करने के कारण उक्त धारा के अन्तर्गत स्वतः कर निर्धारण की परिधि में आते थे, को कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा एकपक्षीय रूप से निस्तारित किया गया है।

इस क्रम में सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि ऐसे समस्त वाद जो धारा 25क के अन्तर्गत दी गयी समस्त शर्तों को पूर्ण करने के कारण स्वतः कर निर्धारण योग्य थे, परन्तु किसी कारणवश एकपक्षीय रूप से निस्तारित कर दिए गए हैं, के सम्बन्ध में धारा 31 के अन्तर्गत प्राप्त प्रार्थना–पत्र को, यदि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो ऐसे वादों को इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी दिशा–निर्देशों के अधीन स्वतः निर्धारित करना सुनिश्चित किया जायेगा।

उपरोक्त निर्देश का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाए।

(दिलीप जावलकर)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

पृ0प0सं0 4617/दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/रुद्रपुर।

2– समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0/प्रव0) वाणिज्य कर, देहरादून/ऋषिकेश/हरिद्वार/रूड़की/काशीपुर/बाजपुर/रूद्रपुर/खटीमा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3– ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी।

4– श्री अनुराग मिश्रा, डिप्टी कमिश्नर एवं Web-Information Officer को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त को वाणिज्य कर की वेबसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।

5– मुख्यालय के समस्त अनुभागों को।

6– विधि अनुभाग की गार्ड फाईल हेतु।

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।